अध्याय-6

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा 5वीं पंच वर्षीय योजना (1974-79) में जनजातीय उप-योजना की संकल्पना की शुरूआत की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ.ज.जा. के लाभ हेतु व्यय किए गए संसाधनों का अंश, कम से कम देश की जनसंख्या में उनके अंश के अनुपात में था। इस प्रकार, जनजातीय उप-योजना का मूल उद्देश्य दोनों भौतिक एवं वित्तीय दृष्टि में अ.ज.जा. के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में सामान्य क्षेत्रों से परिव्यय एवं लाभों के प्रवाह को चैनल करना है।

दोषपूर्ण योजना बनाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010 तक, जनजातीय उप-योजना तथा जनजातीय लोगों को प्रवाहित लाभों के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करने के बीच कोई संबंध नहीं था। तदुपरांत, योजना आयोग द्वारा सभी क्षेत्रों एवं योजनाओं में ज.जा.उ.यो हेतु निधियों के कुछ भाग को चिन्हित करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आवंटित निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र अपर्याप्त है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना के निर्माण एवं अंतिम रूप देने की प्रक्रिया, जो कि ज.जा.उ.यो. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित आधार था, के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना बनाना दोषपूर्ण था जिन्हें ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत अपेक्षित रूप में जनजातीय लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिए बिना ही निर्मित किए गया था। परिकल्पित रूप से अ.ज.जा. के विकास में अंतराल के आकलन के लिए किसी अध्ययन को संचालित नहीं किया गया था। कई मामलों में, जहां नोडल अभिकरणों का गठन किया गया था, उनके पास ज.जा.उ.यो के निर्माण, कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग पर कोई भूमिका/नियंत्रण नहीं था।

निधियों का खराब उपयोग

योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि ज.जा.उ.यो. निधियों के कम उपयोग तथा विपथन के कई मामले पाए गए थे। जबकि, कुछ राज्यों ने जिला/कार्यान्वयन अभिकरणों को अंश का अपना अनुपात जारी नहीं किया था। विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य सरकार से नोडल अभिकरण/कार्यान्वयन अभिकरण की निधियों के निर्गम में विलंब पाए गए थे।

पृथक खाते का रखरखाव न करना

यद्यपि केन्द्र स्तर से निधियों को तीन मुख्य शीर्ष अर्थात् सामान्य/अ.जा/अ.ज.जा. (ज.जा.उ.यो) को राज्यों तथा राज्यों से जिला कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया गया था, प्रत्येक स्तर पर घटक-वार रूप से व्यय के लेखे नहीं रखे गये थे। राज्यों/जिलों ने किए गए व्यय के घटक-वार विवरणों को न दर्शाए हुए समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। परिणामस्वरूप, ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत सटीक व्यय का पता नहीं लगाया जा सका था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के व्यय बजट में ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत किए गए व्यय के आंकड़े दर्शाए गए थे जबकि यह उपयोगिता प्रमाणपत्रों में उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता के साथ राशियों के समेकन के तरीकों पर सवाल उठाता है। यह भी दर्शाता है कि ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निर्गमों को वास्तव में अंतिम व्यय के रूप में माना गया है जोकि अपर्याप्त अभ्यास तथा व्यवस्थित अक्षमताओं को इंगित करता है।

कमजोर मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तंत्र

केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर योजना की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन दोषयुक्त था तथा सशक्तिकरण की आवश्यकता थी। मा.सं.वि. मंत्रालय स्वयं के द्वारा बनाई गई योजना के तहत, ज.जा.उ.यो. निधियों की मॉनीटरिंग हेतु ढांचे को विकसित करने में विफल रहा जैसे कि उप-योजना अनुसंधान केन्द्र तथा अ.ज.जा.शि.प्र.सू.प्र. जिन्हे आज तक स्थापित एवं विकसित नहीं किया जा सका था। स्वा.एवं प.क. मंत्रालय में किसी नोडल समर्पित इकाई को निर्मित नहीं किया गया था। राज्य स्तर/ जिला स्तर पर कोई अलग मॉनीटरिंग समिति को गठित नहीं किया गया था जैसाकि दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है ताकि ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत

योजनाओं/कार्यक्रमों के इष्टतम कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। जनजातीय मामला मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की वार्षिक योजना की निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं था।

सरकार को ऐसी प्रणालियों को बनाने की आवश्यकता है जिससे यह आश्वासन मिल सके कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया था जिसके लिए उसे अभिप्रेत किया गया था।

नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर 2015

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 5 अक्टूबर 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक